

कार्यालय नगर पंचायत मोहनलालगंज जनपद लखनऊ

पत्रांक : २४ / न०प०मो० / मानचित्र स्वीकृति / 2026-27

दिनांक : 15, अप्रैल, 2026

आदेश

नाम— मै० जेमिनी ग्रीन प्राईवेट लिमिटेड,

पता— डी-1, शहजादा कोठी, रायबरेली।

आप द्वारा प्रस्तुत लेआउट/मानचित्र को नगर पंचायत मोहनलालगंज की मानचित्र उपविधि के तहत एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 178, 179 के अन्तर्गत सार्वजनिक सफाई को दृष्टिगत रखते हुये अधिनियम की धारा 180 (1) के अन्तर्गत में निम्न उपबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. प्रस्तावित लेआउट/मानचित्र से सम्बन्धित निर्माण दर्शायी गयी गाटा संख्या-2387, 2388, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, एवं 2396 की भूमि पर ही किया जायेगा।
2. सम्बन्धित लेआउट/मानचित्र के बाहरी भाग सार्वजनिक मार्ग की ओर कोई परनाला, शौचालय आदि का निर्माण नहीं किया जायेगा।
3. निर्माण कार्य के समय कोई भी सामग्री आदि सार्वजनिक मार्ग पर एकत्रित नहीं की जायेगी।
4. यदि निर्माण के स्वीकृति दिये जाने के उपरान्त यह संतुष्टि हो जाये कि नोटिस अथवा सूचना में दिये गये किसी गलत विवरण/मानचित्र के आधार पर अनुमति प्राप्त हो गई हो, तो अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुमति रद्द की जा सकती है तथा अनुमति के अन्तर्गत किया गया निर्माण कार्य बिना अनुमति का माना जायेगा और जिसको तुड़वाया/गिराया भी जा सकेगा।
5. यदि प्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि/तालाब पर अतिक्रमण कर कार्य किया जाता है तो स्वीकृति/प्रमाणित लेआउट/मानचित्र निरस्त समझा जायेगा।
6. प्रस्तुत लेआउट/मानचित्र के अन्तर्गत प्रदर्शित नगर पंचायत मोहनलालगंज क्षेत्र में दी जा रही है, भविष्य में विस्तार होने पर पुनः स्वीकृति लेनी होगी।
7. समस्त विकास/निर्माण कार्य करते समय भूजल संरक्षण व पर्यावरणीय क्लीयरेंस के तहत निर्माण कार्य कराना होगा। पर्यावरणीय क्लीयरेंस, अग्निशमन विभाग की अनापत्ति एवं अन्य सम्बन्धित विभागों की अनापत्ति (आवश्यक होने पर) लेने की जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म की होगी।
8. सरकारी भूमि/तालाब पर कोई भी निर्माण कार्य आप द्वारा किया जाता है तो वह अवैध माना जायेगा तथा लेआउट/मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
9. सम्बन्धित भूखण्ड के बारे में कोई भी न्यायिक वाद लम्बित होने की दशा में लेआउट/मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
10. प्लाटिंग क्षेत्र का कम से कम 40 प्रतिशत भाग हरित क्षेत्र तथा सड़क निर्माण के लिये होनी चाहिये तथा सड़क की चौड़ाई क्रमशः 40 फीट, 30 फीट व 20 फीट भूमि/स्थान की उपलब्धता के अनुसार होनी चाहिये।
11. प्लाटिंग क्षेत्र के भवनों के गृहकर एवं जलकर दर्ज कराये जाने हेतु विक्रेता/सम्बन्धित फर्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. प्रदान की गई स्वीकृति नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 181 के अधीन मात्र एक वर्ष के लिये ही मान्य होगी।

संलग्नक— मानचित्र की एक प्रति।

राजेश कुमार

अधिशाली अधिकारी
नगर पंचायत मोहनलालगंज
जनपद लखनऊ

अध्यक्ष
नगर पंचायत मोहनलालगंज
जनपद लखनऊ

क्रम संख्या

641

7

पुस्तक संख्या

श्री अमिता कुमार आर्याल
श्री अमिता कुमार आर्याल

रु0 (अंको में)

1409565/-

से प्राप्त

रु0 (शब्दों में)

एक हजार चार सौ पचास रुपये मात्र

की मद में

मानविकी शिक्षा

अवधि के लिए

2026-27

भांग के

पूर्ण आशिक

भुगतान में

बिल संख्या :

दिनांक : 12/04/2026

सि

लेखाकर्ता / लिपिक / कर्त समाहर्ता

संख्या	भुगतान का ब्यौता	अवधि	धनराशि
श्री अमिता कुमार आर्याल	मानविकी शिक्षा	2026-27	1409565/-
योग (शब्दों में)	एक हजार चार सौ पचास रुपये मात्र	योग	1409565/-